

तारीख हुकम

31/7/19 पत्रावली पेश हुई। विप्रापरी
 शरव्य - 1, 8, 9, 13 से
 इन्तपार व दीगर विप्रापरी
 श्री तापकी हेतु दिनांक 20/8/19 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा,

20/8/19

पत्रावली आज पेश हुई। S.D.O. साहब
 आज भ्रमण पर होने से पत्रावली
 दिनांक 28/8/19 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

28/8/19

पत्रावली आज पेश हुई। S.D.O. साहब
 आज भ्रमण पर होने से पत्रावली
 दिनांक 2/9/19 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

3/9/19

पत्रावली आज पेश हुई। S.D.O. साहब
 आज भ्रमण पर होने से पत्रावली
 दिनांक 20/9/19 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

30.9.19

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी तहसीलदार फचपदरा द्वारा
 एक प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम
 कीर्तौद का मूल खसरा नं. 2 पूर्व में सरकारी भूमि थी।
 जो अलग-अलग व्यक्तियों का आंचलित (अपभ्रंश) हुई।
 वर्तमान में मूल खसरा नं. 2 के कुल 11 बड़ा नम्बर है
 जिसमें से 10 खसरेदारी व एक सरकारी भूमि है।
 वर्तमान लड़ा हेतु में तरमीम नहीं की हुई है।
 31/8/19 भोजनान्तरित तरमीम किया जाना आवश्यक है।
 अतः परिशिष्ट "ब" अनुसार पुस्तकित अनुसार
 तरमीम करने का आदेश देने का निवेदन किया।

विप्रापरी को नोटिस जारी किये गये बावजूद
 इन्तला कोई आपत्ति पेश नहीं की गई।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर मनन किया गया।

वर्तमान में मूल खसरा नं. 2 के 11 बड़ा नम्बर परिशिष्ट
 "अ" अनुसार है। जिसकी तरमीम नहीं देने से परिशिष्ट
 "ब" अनुसार तरमीम पुस्तकित कर तरमीम हेतु आदेश
 देने का निवेदन किया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र RLRAC
 1956 की धारा 131, 136 के तहत पेश की गई है।

हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज

धारा 136 राजस्व रेकॉर्ड में हुई किसी
अशुद्धि को सुद्ध करने हेतु है। नए सिरे से
कोई अस्सीम करने का आदेश इस धारा
के तहत नहीं माना जायेगा का प्रार्थना पत्र
सारणी है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र
रजिस्ट्रिज किया जाता है। पत्रावली फेंसल शुमार
होकर दाखिल दफ्तर हो।
निर्णय आज दिनांक 30.9.19 को खुली
अदालत में सुनाया गया।

सहायक कमिश्नर
(S.D.O.) बालोतरा